

सुप्रीम कोर्ट का सा.प.नि.वारा / सकेड सिटि

02/22 उम्र-परि द्वारा कोविड-19 के चलते न्यायिक कार्य
रुकने से हुए हैं। प.व.सा. उम्र कार्य में
रुकने से पूर्व दि. 10/12/22 को पेश हो

02/22 पत्रावली पेश हुई। प.व.सा.व. दौरे पर प्यारे हो प्रवृत्त
दिनांक 14/12/22 को पेश हो।

03/22 पत्रावली पेश हुई। उम्रपक्ष के अभिप्राय अनुपस्थित
बार-बार आवाज पुनरावृत्ति गई जो की स्थिति
नहीं हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण
में माननीय न्यायाधीश संबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी द्वारा डे. नं. 173/2010
में पारित निर्णय दिनांक 4/8/11 द्वारा न्यायालय जिला
जम्मू, बारा न्याय निर्णय दिनांक 31/5/2010 अपालन
कर इस आदेश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया
गया था कि नालाहीन डिपो मैनेजर के नोटिस जारी
कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान का
नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
इस संबंध में मुख्य संबंधित राजस्व पक्ष

निर्णय बारा आगरा के पत्र नं. 2424 दिनांक 30/9/21
से स्पष्ट है कि श्री ससनारायण शर्मा, श्रुत मुख्य
संबंधित का स्वर्वास 15-16 वर्ष पूर्व हो चुका है।
श्री ससनारायण शर्मा की हल् 15-16 वर्ष पूर्व हो चुकी है।
स्थिति में प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना
संभव नहीं है अतः प्रकरण इसी स्तर पर स्थिर
रखा जाता है पत्रावली फैनल थुमार हो कर
से कम हो जाह तामील अभिलेख में पेश
आदेश सुनाया गया।



जिला कलकट
बारा (राब.)